

5. यदि कभी यह पाया गया की बोली दाता द्वारा जिनकी दरें स्वीकृति की गई है, रद्दी की तोलाई में जान बुझकर गड़बड़ी की जा रही है तो उस स्थिति में उसके करार को तत्काल प्रभाव से बोली दाता की कीमत पर रद्द कर दिया जायगा।
6. बोली दाता को अपनी निविदा में GST No. का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा तथा GST No. की छायाप्रति साथ लगानी होगी।
7. निविदा सीलबन्द लिफाफे में भेजी जानी चाहिए तथा उस पर साफ अक्षरों में रद्दी के लिए निविदा लिखा होना चाहिए। निविदा उप- महालेखाकार(प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार हिमाचल प्रदेश शिमला के नाम दिनांक 19/07/2024 को 12:00 बजे तक कमरा संख्या- 229 में पहुंच जानी चाहिए।
8. सफल बोली दाता द्वारा बोली की समस्त राशि मौके पर चैक या ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी तथा क्रय की गई रद्दी की तुलाई का कार्य समाप्त होने पर उसी समय (पूर्व निर्धारित अवधि में) कार्यालय / सञ्जैली स्थिर रिकॉर्ड कक्ष से उठानी होगी।
9. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
10. इस विषय में किसी भी प्रकार के विवाद (Dispute) की स्थिति में प्रधान महालेखाकार महोदय का फैसला अंतिम व सभी पक्षों को मान्य होगा।
11. रद्दी कागजो के साथ लगा गता तथा फाइल कवर जो दोबारा से प्रयोग करने योग्य न हो को भी उसी दिन (पूर्व निर्धारित अवधि में) डमप कमरे से ले जाना होगा।

विजय बुग्गा
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (अभिलेख अनुभाग)

